

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

सकरावास

—: आदेश :-

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सकरावास  
व भूअ.नि. रेलमगरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब  
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सकरावास तहसील रेलमगरा व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०१७ वैशाख में खाता संख्या ४५ में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>सकरावास</u>	<u>४५</u>	<u>रेमालाल/नोला कुमावत</u>	<u>रेमालाल/नोला कुमावत</u>

पीठासीन अधिकारी

सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा  
(उपखण्ड अधिकारी)

दिनांक :- २९/९/२०

क्रमांक: राजस/२०२५/५७

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री रेमालाल/नोला कुमावत को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। रेमालाल/नोला कुमावत-सकरावास

पीठासीन अधिकारी

सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा

रेलमगरा